भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 912
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

बाल संरक्षण समितियां

912. **श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः**
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की स्थापना करने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित राज्यों में किसी निगम को शहरी वार्ड स्तर के पैनल बनाने हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों में ऐसी समितियों का गठन किया जाना था, के संबंध में ब्यौरा क्या है।
(घ) क्या समितियों का उद्देश्य अधिकारियों की मदद से सतर्कता बढ़ाना और बच्चों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है और स्कूल बीच में ही छोड़ने की दरों को कम करना, बाल श्रम को रोकना और कुपोषण से निपटना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या राज्य और संघ पैनल स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम कर रहे हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और गत 15 वर्षों के दौरान तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत हिस्सेदारी आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल हैं। यह योजना देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के साथ-साथ विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा में सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य के अलावा, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, परामर्श आदि में सहायता करते हैं। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को गैर-संस्थागत देखभाल के तहत सहायता प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल और पश्चात देखभाल के माध्यम से प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य दिशानिर्देश में देश में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत व्यवस्था तंत्र की परिकल्पना की गई है। मिशन वात्सल्य में बाल कल्याण के कार्यों और संरक्षण सम्बन्धी मुद्दों को पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय की उन मौजूदा समितियों को सौंपने की भी परिकल्पना की गई है जो सामाजिक न्याय/बच्चों के कल्याण के मुद्दों से सम्बंधित कार्य देखती हैं।

जिन शहरों में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की स्थापना की गई है, उनका ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, अधिकारियों की मदद से सतर्कता बढ़ाने और बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली बच्चों की दरों को कम करने, बाल श्रम को रोकने और कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई समितियों के बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 के तहत बाल कल्याण समितियों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। उन्हें सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (धारा 109) में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रावधान है।

(ङ) और (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सीधे धनराशि जारी करता है।

*****